संख्या-63/2026/I/1302498/2026/001-71-2099-263-2021(133055)

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।

2- कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक- 20-04-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय में असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-हरोस/2026-27/12, दिनांक 01.04.2026 एवं कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यायल, सैफई इटावा के पत्र संख्या-4489/E/यू0पी0यू0एम0एस0/वित्त/2025-26, दिनांक 02.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि 2627.86 लाख (रुपये छब्बीस करोड़ सत्ताईस लाख छियासी हजार मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

रू0 लाख में

क्र0सं0	**चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
1	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	2477.86
2	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा	150.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग	2627.86

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. निदेशक/रजिस्ट्रार, का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28/03/2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक/कुलसचिव का होगा।
7. वित्तीय नियमों व प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत राशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जाये तथा किसी भी अनियमितता के लिए संस्था के निदेशक/कुलसचिव उत्तरदायी होंगे।
8. धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,27,86,000 (रुपये छब्बीस करोड़ सत्ताईस लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231 /2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-63/2026/I/1302498/2026 /001-71-2099-263-2021(133055), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/सैफई इटावा/कानपुर, उ0प्र0।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।